यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) -I, राज्य कर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) -I, राज्य कर, देहरादून के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस दरियाल, श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.10.2018 से 20.10.2018 तक श्री पी.के.गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.07.2017 से 25.07.2017 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**ः

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	114078.85
2016-17	128104.25
2017-18	98722.88

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**आवंटित बजट राशि (₹)**		**व्यय राशि (₹)**		**अवशेष/समर्पण (₹)**	
	आयोजनेत्तर	**आयोजनागत**	**आयोजनेत्तर**	**आयोजनागत**	**आयोजनेत्तर**	**आयोजनागत**
2015-16						
2016-17			**N.A**			
2017-18						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **राजपुर रोड़, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) -I, राज्य कर, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - **को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

व्यय: - **को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -दो (अ)

प्रस्तर 1- टी.डी.एस विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 2.31 करोड़।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 35(4) के अनुसार जिस माह में TDS की धनराशि की कटौती की जाये उसके अगले माह के अन्त तक शासकीय कोष में जमा करना चाहिये।

पुनः धारा 35(8) के अनुसार यदि TDS की धनराशि विलम्ब से जमा की जाती है तो TDS का दोगुना तक अर्थदण्ड आरोपणीय है।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-I, वाणिज्य कर, देहरादून की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित तीन संविदाकारों के द्वारा स्रोत से कर की कटौती विलंब से करने पर अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया है-

1. व्यापारी का नाम- सर्व श्री अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रा.लि. देहरादून।
कर निर्धारण वर्ष- 2013-14
टिन नंबर-05000323714 धारा-25(7)
फर्म पंजीकृत है। व्यापारी एक सिविल संविदाकार है। ब्यापारी द्वारा श्रीनगर गढ़वाल स्थित प्रोजेक्ट में कंपनी द्वारा 330 मेगावाटहाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण का कार्य करना है। कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-I, वाणिज्य कर देहरादून की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि क.नि. वर्ष 2013-14 द्वारा संलग्न विवरण पत्रानुसार TDS की धनराशि ₹**9333971/-** को विलम्ब से जमा किया गया था।
2. व्यापारी का नाम- सर्व श्री लेनको इंफ्राटेक लि. देहरादून।
कर निर्धारण वर्ष-2012-2013 एवं 2013-14
टिन नंबर- 05007043195 एवं 05000323714 धारा-25(7)
फर्म पंजीकृत है। व्यापारी एक सिविल संविदाकार है। व्यापारी द्वारा समाधान योजना का विकल्प अपनाया गया था। तिमाही रूप पत्र दाखिल किया गया था। कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-I, वाणिज्य कर देहरादून की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि क.नि. वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 द्वारा संलग्न विवरण पत्रानुसार TDS की धनराशि ₹**2210879/-** को विलम्ब से जमा किया गया था।

अतः उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 35(8) के अनुसार कुल TDS की धनराशि ₹11544850 (9333971+2210879) का

दोगुना अर्थात् ₹23089700/- अर्थदण्ड आरोपणीय था, जिसे आरोपित कर वसूला नहीं गया है।

उक्त को इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि संप्रेक्षा द्वारा यह आपत्ति उठाई गई है कि संविदी विभाग द्वारा TDS की कटौती बिलम्ब से की गई है अतः धारा 35(8) के अंतर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है। व्यापारी सर्वश्री माकिन डेवलपर्स के सन्दर्भ में विभाग का उत्तर मान्य है किन्तु व्यापारी सर्वश्री अलकनन्दा हाइड्रोपावर क.लि. देहरादून एंव सर्वश्री लेन्को इन्फ्राटेक लि. देहरादून के सन्दर्भ में विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन व्यापारियों द्वारा विभिन्न संविदाकारो को भुगतान किया गया है एवं टी.डी. एस की धनराशि काटकर विलम्ब से कोषागार में जमा की गयी है। अतः उल्लिखित नियमानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत टी0डी0एस0 जमा न करने पर अर्थदण्ड आरोपित न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.31 करोड़ के अर्थदण्ड के अनारोपण का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

देरी से जमा की गई TDS क विवरण

क्र.सं.	कटौती की गई TDS की धनराशि	कटौती की तिथि	देय तिथि	TDS जमा करने की तिथि	टिप्पणी
1. अलकनंदा हाइड्रो पावर कं. लि.					
1	219694.00	Oct 13	30/11/2013	02/01/2014	
2	893227.00	Nov 13	31/12/2013	02/01/2014	
3	1190792.00	Dec 13	31/01/2014	19/02/2014	
4	62466.00	March 14	30/04/2014	20/06/2014	
5	790865.00	Jan 14	28/02/2014	03/04/2014	
6	277603.00	Feb 14	31/03/2014	16/04/2014	
7	282904.00	April 13	31/05/2013	13/06/2013	
8	3394295.00	March 14	30/04/2014	20/06/2014	
9	356213.00	May 13	30/06/2013	17/07/2013	
10	396913.00	Jun 13	31/07/2013	02/08/2013	
11	1069545.00	Feb 14	31/03/2014	03/04/2014	
12	129273.00	Aug 13	30/09/2013	23/10/2013	
13	270181.00	July 13	31/08/2013	03/09/2013	
	93,33,971.00				
2. मै0 लंकों इंफ्राटेक लिमिटेड					
14	715946.00	July 13	31/08/2013	24/10/2013	

15	146408.00	Dec 12	31/01/2013	04/02/2013	
16	1348525.00	Feb 13	31/03/2013	25/04/2013	
	2210879.00				

भाग 2 (ब)

प्रस्तर: 1- कर का अनारोपण ₹58.79 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) प्रथम राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री जुबलीयेंट फूड वर्क्स लि0 TIN 05000321095 फूड आइटम पीज़ा का निर्माण व बिक्री के लिए पंजीकृत है । व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में (परचेज़ चार्ट के अनुसार) पंजीकृत से ₹ 659550/- अपंजीकृत से ₹1743059/- एवं आयातित ₹ 6816484/- कुल ₹ 9219093/ (659550 +1743059 +6816484) पूंजीगत वस्तुओं की खरीद दर्शाई गयी थी। जबकि आयातित वस्तुओं की सूची में विक्रय न होने बाली बस्तुओं की खरीद ₹ 41143297/- दर्शाई गयी थी। संगत वर्ष के कर निर्धारण आदेश के अनुसार ₹ 6816492/- पूंजीगत बस्तु एवं ₹16559023/- प्लान्ट एण्ड मशीनरी क्रय किया जाना बताया गया था। पत्रावली में बैलेन्सशीट उपलब्ध न होने के कारण इस मशीनरी का स्टॉक में रहने की पुष्टि नहीं हो सकी।

उपरोक्त प्लान्ट एण्ड मशीनरी पूंजीगत बस्तुओं की खरीद ₹ 43545906/ (659550 +1743059+41143297) की पुष्टि न होने के कारण इसको विक्री मानते हुए 13.5% की दर से ₹ 5878697/- कर आरोपणीय है। तथा जमा करने की दिनांक तक 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी देय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी एक वहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसके द्वारा संगत वर्ष में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में विभिन्न शहरों में आउटलेट खोले गये थे जिसके लिए पूंजीगत वस्तु प्लान्ट एवं मशीनरी खरीदी गयी थी। बैलेन्स सीट में दिखाया गया है या नहीं बैलेन्स सीट न होने के कारण स्पष्ट नहीं है। व्यापारी द्वारा घोषित किया गया था कि यह वस्तुएं बिक्री योग्य नहीं थी। व्यापारी द्वारा अपनी बेलेन्स शीट में अवश्य दिखाया गया होगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा पूंजीगत वस्तु प्लान्ट एवं मशीनरी को बेलेन्स शीट से पुष्टि कराने में असमर्थ रहा। विभाग द्वारा पुष्टि होने की मात्र सम्भावना व्यक्त की गयी।

अत: उपरोक्त कर का अनारोपण ₹ 58.79 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर:2 - अर्थदण्ड का अनारोपनण ₹42.09 लाख।

केंद्रीय विक्रय का अधिनियम 1956 की धारा 10 (ख) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी होते हुए किसी वर्ग का माल क्रय करते समय यह मिथ्या जाहिर करेगा कि माल के ऐसे वर्ग उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत है तो, धारा 10 (क) के अंतर्गत देयकर का डेढ़ गुना अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) प्रथम राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री मैरिको लि0 टिन नं0 05000363678 हैयर आयल, खाघ तेल, सोप आदि के निर्माण के लिए पंजीकृत है व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय खरीद के लिए 499 फार्म सी निर्गत किया गये थे। फार्म सी से आच्छादित खरीद में निम्न वस्तुएं व्यापारी के केन्द्रीय पंजीयन से आच्छादित नहीं पायी गयीं ।

क्रम	वस्तु का नाम	क्रय धनराशि	कर की दर	कर की राशि
1.	VITAMIN-E NATURAL	28803834	5%	1440192
2.	SPARKLE	1976638	13.5%	266846
3.	Malkangni,ajwain Extrac	3656063	13.5%	493569
4.	ELECT HEAT TRACER	4123272	13.5%	556642
5.	Printer 9020	183947	5%	9197
6.	Coconut milk	294297	13.5%	39730
	योग	39038051		2806176

अत: उकतानुसार इन वस्तुओं की खरीद ₹ 39038051/- पर देय कर ₹ 2806176/- का डेढ़ गुना ₹ 4209264/- अर्थदण्ड आरोपणीय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी द्वारा वेजीटेबल उपकरण खरीद हैयर आयल आदि के निर्माण के लिए पंजीयन लिया है पंजीयन प्रमाण पत्र में तमाम वस्तुएं उल्लिखित है। अत: जिन वस्तुओं पर फार्म सी जारी करने का उल्लेख किया गया है, वे वस्तुएं उन्हीं उत्पादित वस्तुओं से संबंधित हैं अत: उत्पादनकर्ता इकाई को देखते हुए वस्तुओं की व्रहद सूची के आधार पर अर्थदण्ड आकर्षित नहीं होता।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीय पंजीयन में उल्लिखित वस्तुओं के लिए ही व्यापारी द्वारा प्रपत्र सी निर्गत किए जा सकते है।

अत: अर्थदण्ड का अनारोपनण ₹ 42.09 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 2 - अर्थदंड का अनारोपण ₹ 6.83 लाख |

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित करअधिनियम 2005 कीधारा 58 (1)(VII)के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर युक्तियुक्त कारण के बिना अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो देय कर का कम से कम 10 प्रतिशतअर्थदण्ड आरोपणीय होगा। एवं 31.03.2015 के संन्शोधन के अनुसार 1 माह से कम विलम्ब होने पर 5 % अर्थदंडआरोपणीय होगा|

माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा आनन्द निशिकोवा बनाम आयुक्त व्यापार कर दिनांक 18.06.2007 केनिर्णय केअनुसार यदि ब्याज जमाहो जाता है तो भी अर्थदण्ड आरोपणीय है।

कार्यालयडिप्टीकमिश्नर (क.नि.) प्रथम वाणिज्यकर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि संलग्न सूची के अनुसार 05 व्यापारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था।जिस पर नियमानुसार कम से कम 10 प्रतिशत की दर से ₹649913 का अर्थदण्ड आरोपणीय था। जिसे आरोपित नहीं किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में विभाग को अवगत कराने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि –

(1) व्यापारी ओम साई इन्टरप्राइजेज, देहरादून का मई 2013 का कर एक दिन विलम्ब से जमा किया गया है माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर व जनवरी का कर ब्याज सहित जमा किया गया है। और माह नवम्बर व मार्च का कर एक या दो दिन विलम्ब से जमा किया गया है।

(2) सर्वश्री अग्रवाल सेनेटरी द्वारा अधिकतर कर समय से जमा किया गया है किन्तु अप्रैल, जून व जुलाई का कर एक दिन विलम्ब से जमा किया गया।

(3) एस.एम. ट्रेडर्स की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर रू 116600 का चालान वित्तीय वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित है चालान को वर्ष 2015-16 की पत्रावली पर भूल वंश लगया गया है जहां तक वर्ष 2015-16 की द्वितीय तिमाही व मार्च तथा जनवरी के कर विलम्ब से जमा

करने का प्रश्न है तो व्यापारी द्वारा चालान जमा किया गया था व बैंक द्वारा देरी से भुगतान किया गया।

(4) व्यापारी सर्वश्री बेब इंडिया द्वारा पूर्व वर्षों में कर समय से जमा किया गया है मात्र दो माहों का कर विलम्ब से जमा किया गया है।

(5) व्यापारी स्कूटर्स इंडिया द्वारा भी एक या दो दिन विलम्ब से कर जमा किया गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं नही क्योंकि बिना युक्ति युक्त कारण के यदि विलम्ब से कर जमा किया जाता है तो अर्थदण्ड आरोपित किया जाना था तथा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्णय के अनुसार यदि ब्याज जमा हो जाता है तो भी अर्थदण्ड आरोपणीय है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संगयन मे लाया जाता है |

व्यापारियों की विवरण

(संलग्नक)

क्रम सं.	व्यापारीकानाम	क.नि. वर्ष	धनराशि(**₹)**	निर्धारिततिथि	जमाकरनेकीतिथि	विलम्बशुल्कअर्थदण्ड (₹)
1	ओम साईं इंटरप्राइजेज , भगवानपुर	2013-14	274445(मई 176063(अगस्त) 198958(सितम्बर) 173398(अक्टूबर) 159538(नवम्बर) 255899(जनवरी) 252352(मार्च)	25.06.13 25.09..13 25.10.13 25.11.13 25.12.13 25.02.14 20.04.14	26.06.13 22.11.13 22.11.13 12.12.13 26.12.13 21.03.14 23.04.14	27444/- 17606/- 19895/- 17339/- 15953/- 25589/- 25235/-
	योग					₹149061/-
2	अग्रवाल सेनेटरी एजेंसी ,देहरादून	2014-15	605327(अप्रैल) 634017(मई) 421653(जून) 435080(जुलाई) 252054(अगस्त) 430491(सितम्बर) 582847(नवम्बर)	20.05.14 20.06.14 20.07.14 20.08.14 20.09.14 20.10.14 20.11.14	21.05.14 23.06.14 21.07.14 21.08.14 22.09.14 27.10.14 23.12.14	60532/- 63401/- 42165/- 43508/- 25205/- 43049/- 58284/-
					योग	₹336144/-
3	एस०एम० ट्रेडर्स	2015-16	33500 (जुलाई) 57800(द्वि0 तिमाही)) 91300(द्वि0 तिमाही) 35020(मार्च) 44337(जनवरी)	20.08.15 20.10.15 20.10.15 20.04.16 20.02.16	15.09.15 02.11.15 02.11.15 25.04.16 23.02.16	1675/- 2890/- 4565/- 1757/- 2217/-
	योग					₹13104 (5%)
4	बेब इंडिया लि० कांवली रोड	2015-16	16023(फ़रवरी)	20.03.16	18.04.16	801 /-

	देहरादून		80891(अप्रैल से जून)	20.07.15	20.08.15	4045 /-
	योग					4846 (5%)
5	स्कूटर्स इंडिया लि० देहरादून	2015-16	249787(अप्रैल) 802674(मई) 1146195(जून) 986276(अगस्त)	20.05.15 20.06.15 20.07.15 20.09.15	22.05.15 23.06.15 22.07.15 22.09.15	12489/- 40134/- 57310/- 49314 /-
					योग	₹ 146758(5%)
कुल योग						₹ 649913 /-

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
राजस्व/CT/44/2017-18	-	01,02,03	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) -I, राज्य कर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री अजय कुमार	उपायुक्त (क.नि.)-I राज्य कर, देहरादून

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) -I, राज्य कर, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

RS/CT-85/2018-19

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र